

:-अधिसूचना:-

राजस्थान सिविल न्यायालय अध्यादेश, 1950 (सन् 1950 का अध्यादेश संख्या-7) की धारा 7 की उपधारा (1) व धारा 12 की उपधारा (1) तथा धारा 16 की उपधारा (1) तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय तुरन्त प्रभाव से सृजित एवं स्थापित करती है:-

क्र.स	नवसृजित न्यायालय का नाम	जिला	बैठक का स्थान	सिविल मामलों के लिए क्षेत्राधिकार
1	2	3	4	5
1.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, ब्यावर	अजमेर	ब्यावर	राजस्व जिला अजमेर
2.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 3, बहरोड	अलवर	बहरोड	राजस्व जिला अलवर
3.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, तिजारा	अलवर	तिजारा	राजस्व जिला अलवर
4.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, राजगढ़	अलवर	राजगढ़	राजस्व जिला अलवर
5.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रामगढ़	अलवर	रामगढ़	राजस्व जिला अलवर
6.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भिवाड़ी	अलवर	भिवाड़ी	राजस्व जिला अलवर
7.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, बाड़मेर	बाड़मेर	बाड़मेर	राजस्व जिला बाड़मेर
8.	अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 2, कोटपूतली	जयपुर	कोटपूतली	राजस्व जिला जयपुर
9.	वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दीगोद	कोटा	दीगोद	राजस्व जिला कोटा

नोट:- वर्तमान में कार्यरत वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ब्यावर, तिजारा, राजगढ़, बाड़मेर, कोटपूतली का नाम परिवर्तित कर क्रमशः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, ब्यावर, तिजारा, राजगढ़, बाड़मेर, कोटपूतली निर्धारित करती है। उपरोक्त न्यायालयों का स्थानीय क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय अध्यादेश एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से

(विनोद कुमार भारवानी)

प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. General II/05/2017(S.E.)/550

Dated:- 31.10.2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judges.
3. Concerned Courts.
4. Concerned Chief Judicial Magistrates.
5. A.O.J. Confidential/ RJS (Estt.)/ SC(F.stt.)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ) computer cell with a direction to upload the same on High court website).

Registrar (Rules)

राजस्थान सरकार

विधि एवं विधिक कार्य विभाग


क्रमांक - प.1(6)न्याय/2019

जयपुर, दिनांक 31.10.19

-:अधिसूचना:-

राज्य में 9 अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या-2, ब्यावर/संख्या-3, बहरोड़/ संख्या-2, तिजारा/ संख्या-2, राजगढ़/ रामगढ़/ भिवाड़ी/ संख्या-2, बाड़मेर/ संख्या-2, कोटपुतली/ दिगोद की स्थापना हेतु जारी इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 24.10.19 के नोट की दूसरी एवं चौथी पंक्ति में उल्लेखित शब्द "ब्यावर" को विलोपित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से


31.10.19
(विनोद कुमार भारवानी)
प्रमुख शासन सचिव


RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR

No. General/II/05/2017(S)..1562

Dated: 31/10/2019

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1. All Registrars, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Bench Jaipur.
2. Concerned District & Sessions Judge/s,
3. Concerned court/s.
4. concerned Chief Judicial/Metro. Magistrate/s,
5. A.O.J. Confidential/ RJS(Estt)/ SC (Estt)/ Budget/ Building/ Statistics/ computer cell (AOJ Computer cell with a direction to upload the same on High Court website).


31.10.19
REGISTRAR (RULES)